छत्तीसगढ़ शासन Most Urgent

वित्त विभाग

—:: मंत्रालय ::—

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

जिला रायपुर

क्रमांक 1541 /पीएफएमएस/ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 08/09/2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषय :— **केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रांश व राज्यांश की राशि SNA खाते में अंतरित करने एवं राशि अंतरण में विलंब की स्थिति बाबत्।**

संदर्भ :— 1. वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 915/PFMS/ब–4/चार, दिनांक 03.04.2023
2. वित्त निर्देश 06/2012, दिनांक 02.03.2012

———000———

उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक (1) के माध्यम से समस्त विभागों को सूचित किया गया है कि भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 16.02.2023 द्वारा राज्य शासन को केन्द्र शासन से राशि प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर केन्द्रांश व राज्यांश की राशि का अंतरण योजना के एस.एन.ए. खाते में किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2023 से एस.एन.ए. खाते में केन्द्रांश की राशि के अंतरण में 30 दिन से अधिक का विलंब होने पर 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अधिरोपित किया जायेगा।

2/ उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक (2).वित्त निर्देश 06/2012 के अनुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि विमुक्ति का दायित्व प्रशासकीय विभाग का है एवं इसके लिये नस्ती वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। कतिपय प्रकरणों में यह देखने में आया है कि प्रशासकीय विभाग केन्द्रांश व राज्यांश की विमुक्ति हेतु नस्ती वित्त विभाग को प्रेषित कर रहें हैं, जिससे राशि की विमुक्ति में अनावश्यक विलंब की स्थिति निर्मित होती है।

3/ अतः अनुरोध है कि समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की केन्द्रांश व राज्यांश राशि का अंतरण SNA खाते में 30 दिन की निर्धारित सीमा के भीतर अनिवार्यतः किया जाये। साथ ही PFMS Portal पर उपलब्ध SNA Reports का नियमित रूप से अवलोकन करना उचित होगा । असुविधा की स्थिति में ss.fin-cg@gov.in पर ई–मेल के माध्यम से समाधान हेतु अवगत करायें ।

4/ **दिनांक 06.09.2023 की स्थिति में योजनावार राशि अंतरण में विलंब तथा केन्द्रांश प्राप्त होने उपरांत अभी तक एस.एन.ए. खातों में अंतरित नहीं की गई राशि का विवरण संलग्न है। केन्द्रांश व राज्यांश राशि का अंतरण SNA खाते में तत्काल किया जाना आवश्यक है ।**

कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

शीतल शाश्वत

(शीतल शाश्वत वर्मा)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा. क्रमांक 1542/ पीएफएमएस/ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 08/09/2023

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. समस्त विशेष सचिव/संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, **वित्त विभाग**, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
5. सहायक महालेखा नियत्रंक, पी.एफ.एम.एस.,राज्य मिदेशालय, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
6. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., अटल नगर, नवा रायपुर
7. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.finance.cg.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

(उत्कल कुमार शर्मा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

List of Schemes, where Central & State share has not been withdrawan from Treasury to SNA account within prescribed time

S.No,	State Department	GoI Scheme	GOI Release to State Treasury (INR Crores)	GoI Release Date	Days remaining for timely withdrawal (As on 06.09.2023)
1	Commerce & Industry	3887 - PM FORMALIZATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISES PM-FME	7.69	23-06-2023	**-46**
2	Law & Legislature	3690 - National Mission for Safety of Women (Fast Track Spl Courts-Nirbhaya Fund)	1.49	04-07-2023	**-35**
3	Food & Civil Supplies	4048 - Revision of norms for Central Assistance Released to States/UTs for meeting expenditure on intra-state movement handing of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA	60.54	06-07-2023	**-33**
4	Skill Development	3822 - SKILL STRENGTHENING FOR INDUSTRIAL VALUE ENHANCEMENTS	6.00	11-07-2023	**-28**
5	School Education	3667 - Samagra Shiksha	231.09	24-07-2023	**-15**
6	Agriculture	4138 - KRISHIONNATI YOJANA	3.11	28-07-2023	**-11**
7	Public Health & Family Welfare	3991 - PRADHAN MANTRI AYUSHMAN BHARAT HEALTH INFRASTRUCTURE MISSION (PM-ABHIM)	27.64	04-08-2023	**-4**
8	Forest	0257 - Forest Fire Prevention and Management Scheme	0.19	08-08-2023	**0**
9	Water Resources	3994 - PMKSY-COMMAND AREA DEVELOPMENT AND WATER MANAGEMENT	2.50	08-08-2023	**0**
10	Tribal Affairs	3373 - POST MATRIC SCHOLARSHIP-TRIBAL	71.25	09-08-2023	**1**
11	Livestock	9008 - National Livestock Mission	0.75	10-08-2023	**2**
12	Agriculture	4138 - KRISHIONNATI YOJANA	19.00	18-08-2023	**10**
13	Forest	0257 - Forest Fire Prevention and Management Scheme	0.54	18-08-2023	**10**
14	Forest	9186 - INTEGRATED DEVELOPMENT NOF WILDLIFE HABITATS	1.16	18-08-2023	**10**

	List of Schemes, where Central & State share has not been withdrawan from Treasury to SNA account within prescribed time				
S.No,	State Department	GoI Scheme	GOI Release to State Treasury (INR Crores)	GoI Release Date	Days remaining for timely withdrawal (As on 06.09.2023)
15	Panchayat & Rural Development	9180 - PRADHAN MANTRI AWAS YOJNA (PMAY)-RURAL	404.85	21-08-2023	**13**
16	Medical Education	9158 - National AYUSH Misson (NAM)	10.76	23-08-2023	**15**
17	Women & Child Development	3975 - SAKSHAM ANGANWADIAND POSHAN2.0(UMBRELLA ICDS-ANGANWADI SERVICES POSHAN ABHIYAN SCHME FOR ADOLESCENT GIRLS NATIONAL CRECHE SCHEME)	69.99	23-08-2023	**15**
18	Fisheries	3890 - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)	11.25	29-08-2023	**21**
19	Panchayat & Rural Development	9179 - PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJNA	2.03	31-08-2023	**23**
20	Urban Development	9478 - MISSION FOR DEVELOPMENT OF 100 SMART CITIES	61.25	31-08-2023	**23**
21	Agriculture	4138 - KRISHIONNATI YOJANA	14.47	01-09-2023	**24**
22	Women & Child Development	3975 - SAKSHAM ANGANWADIAND POSHAN2.0(UMBRELLA ICDS-ANGANWADI SERVICES POSHAN ABHIYAN SCHME FOR ADOLESCENT GIRLS NATIONAL CRECHE SCHEME)	142.85	01-09-2023	**24**
23	Women & Child Development	3979 - SAMBAL (Beti Bachao Beti Padhao One Stop Centre Mahila Police Volunteer Women helpline Nari Adalat etc)	0.14	01-09-2023	**24**
	Source: SNA-06 Report accessed on 04.09.2023				

Sverma

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
—:: मंत्रालय ::—
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर

क्रमांक 915 / पीएफएमएस / ब—4 / चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03 / 04 / 2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषय :— **केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रांश व राज्यांश की राशि एस.एन.ए. खाते में अंतरित करने एवं राशि अंतरण में विलंब की स्थिति में ब्याज अधिरोपित करने बाबत्।**

संदर्भ :— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन एफ.क्र.1(13) / पीएफएमएस / 2020 दिनांक 16.02.2023 (संलग्न) एवं वित्त विभाग का ज्ञाप क्र. 394 / PFMS / ब—4 / चार, दिनांक 28.02.2023 व ज्ञाप क्र. 587 / PFMS / ब—4 / चार, दिनांक 22.03.2023

——000——

भारत सरकार के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 16.02.2023 के अनुसार राज्य शासन को केन्द्र शासन से राशि प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर केन्द्रांश एवं आनुपातिक राज्यांश की राशि का अंतरण योजना के एस.एन.ए. खाते में किया जाना है। दिनांक 01.04.2023 से एस.एन.ए. खाते में केन्द्रांश की राशि के अंतरण में 30 दिन से अधिक का विलंब होने पर केन्द्र सरकार द्वारा 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अधिरोपित किया जायेगा। भारत सरकार, महालेखा नियंत्रक कार्यालय के पी.एफ.एम.एस. अनुभाग द्वारा दांडिक ब्याज जमा करने की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से दिशा—निर्देश जारी किये जायेंगे।

3/ वित्त विभाग के संदर्भित पत्रों के द्वारा विभागों को केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की केन्द्रांश व राज्यांश राशि का अंतरण एस.एन.ए. खाते में 30 दिन की निर्धारित सीमा के भीतर किये जाने तथा PFMS Portal पर उपलब्ध SNA Reports का नियमित रूप से अवलोकन करते हुए व्यय में कमी (Deficit) परिलक्षित होने वाले प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। यदि **किसी योजना में गत वित्तीय वर्ष में बजट में प्रावधान नही होने के कारण/ अन्य कारणों से राशि का आहरण नही किया जा सका हो तो कृपया इस वित्तीय वर्ष (वर्ष 2023—24) के बजट प्रावधान से यथाशीघ्र राशि आहरित कर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।**

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

3/4
(शारदा वर्मा)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

निरंतर....2

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03/04/2023

पृष्ठा. क्रमांक 916 / पीएफएमएस/ब-4/चार,

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. समस्त विशेष सचिव/संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
5. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
6. सहायक महालेखा नियत्रंक, पी.एफ.एम.एस.,राज्य निदेशालय, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
7. समस्त वरिष्ठ कोषालय अधिकारी / कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
8. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., अटल नगर, नवा रायपुर
9. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.finance.cg.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

(चन्द्र प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

F. No. 1(13)/PFMS/2020
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
******

North Block,
New Delhi, 16th February, 2023

To

Chief Secretaries/Principal Secretaries (Finance): All States/UTs

Subject: Revised procedure for flow of funds under Centrally Sponsored Schemes – Transfer of Central and State share of funds to the Single Nodal Agency (SNA) account and levy of interest for delay in such transfer.

The undersigned is directed to refer to Para No. 16 of the revised procedure for release of funds under the Centrally Sponsored Schemes (CSS) issued vide this Department's letter No. 1(13)/PFMS/FCD/2020 dated 23rd March, 2021. It provides that the Central share and commensurate State share is to be transferred by the State Government to the Single Nodal Agency's (SNA) account within 21 and 40 days respectively of receipt of Central share.

2. In partial modification of the aforesaid provision in the guidelines, it has been decided by the competent authority that the State Government shall transfer the Central share as well as the commensurate State share to the SNA account within 30 days of receipt of Central share.

3. Further, it has been decided to charge interest w.e.f 01.04.2023 on the number of days of delay beyond 30 days in transfer of Central share to the SNA account at the rate of 7% per annum. PFMS division, O/o CGA will issue guidelines regarding procedure for deposit of penal interest by the State Government concerned in the Consolidated Fund of India.

4. This issues with the approval of the Competent Authority.

16/2/23
(Prateek Kumar Singh)
Director
Tel. No. 23094961

Copy to:
1. Secretaries to the Government of India
2. Financial Advisers to the Ministries/Departments
3. Add. CGA (PFMS) with the request to develop facility in PFMS for calculation and deposit of interest and to issue detailed SoP in this regard.
4. All Pr. CCAs/CCAs of all Ministries/Departments

महत्वपूर्ण

वित्त निर्देश 06/2012

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय–रायपुर

क्रमांक / 2277 / एल–66 / 2012 / वित्त / ब–4 / चार — रायपुर, दिनांक 02.03.2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषयः–केन्द्रीय क्षेत्रीय, केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं तथा भारत सरकार के आयोजनागत एवं आयोजना भिन्न अनुदान के अंतर्गत प्राप्त केन्द्रांश/राज्यांश विमुक्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण।

प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्रीय, केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं तथा भारत सरकार के आयोजनागत अनुदान (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, विशेष केन्द्रीय सहायता, अनुच्छेद 275(1), बाह्य सहायता प्राप्त अनुदान आदि) एवं आयोजना भिन्न अनुदान (पुलिस बल आधुनिकीकरण, राज्य आपदा निधि आदि) के अंतर्गत जारी केन्द्रांश तथा उससे संबद्ध राज्यांश की विमुक्ति हेतु प्रशासकीय विभाग को वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि योजना अंतर्गत व्यय करने से पूर्व यह सत्यापन/पुष्टि कर ली जाए कि प्राप्त आवंटन के लिए बजट में प्रावधान किया गया है तथा उक्त योजनाओं हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त होकर राज्य शासन के खाता में जमा हो चुकी है।

2. उपर्युक्त योजनाओं अंतर्गत प्राप्त आवंटन की त्वरित विमुक्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ***राज्य शासन द्वारा प्रचलित प्रकिया में सरलीकरण करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित व्यवस्था अनुसार केन्द्रांश/राज्यांश की विमुक्ति के लिए वित्त विभाग की सहमति की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए प्रशासकीय विभाग को निम्न शर्तों के अधीन केन्द्रांश/राज्यांश विमुक्ति करने का अधिकार प्रत्यायोजित किया जाता है:–***

2.1 ***विमुक्त की जाने वाली राशि का बजट में उपयुक्त शीर्ष में प्रावधान हो।*** कतिपय योजनाओं में बजट प्रावधान से अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है। ऐसे प्रकरणों में अतिरिक्त राशि का बजट में प्रावधान करने के पश्चात् ही विमुक्ति की कार्यवाही की जाए।

2.2 ***केन्द्रीय योजनाओं की राज्य बजट के माध्यम से जारी होने वाली राशि भारत सरकार के स्वीकृति आदेश के अनुरूप राज्य शासन के खाता में जमा हो गयी हो।*** यह जानकारी वित्त विभाग की वेबसाईट www.cgfinance.nic.in में दैनिक आधार पर अपलोड कराया जाता है। वेबसाईट में जाकर इसे देखने के लिए निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जाये :—

2.2.1 सर्वप्रथम वित्त विभाग के वेबसाईट www.cgfinance.nic.in को खोलें।

2.2.2 होमपेज के बायें मार्जिन पर "Release from Government of India" को क्लिक करें।

2.2.3 इसके पश्चात् "Release" को क्लिक करें।

2.2.4 "Scheme wise" को क्लिक करें एवं आवश्यकता अनुसार अवधि चुने ।

2.2.5 संबंधित योजना (जैसे RKVY) को क्लिक करें जिसमें भारत सरकार का स्वीकृति आदेश कमांक, दिनांक तथा विमुक्त एवं राज्य शासन में जमा राशि का विवरण दर्शाया गया है।

2.2.6 उपरोक्त अनुसार कार्यवाही में कोई कठिनाई हो तो वित्त विभाग के शोध अधिकारी श्री प्रशांत लाल (दूरभाष नंबर 4049445) से संपर्क किया जा सकता है।

2.3 ***भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुपात में ही राज्यांश विमुक्त की जाए,*** अर्थात् भारत सरकार द्वारा अगर प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत राशि स्वीकृत की गयी हो, तो राज्यांश का भी 50 प्रतिशत राशि विमुक्त की जाए।

2.4 कतिपय केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रांश off-budget के रूप में प्राप्त होती है एवं इस राशि के विरूद्ध राज्यांश का प्रावधान बजट में रखा जाता है । इन योजनाओं का विवरण वित्त विभाग के बेवसाइट में उपलब्ध नहीं रहता है । ***ऐसे प्रकरणों में प्रशासकीय विभाग off-budget के रूप में प्राप्त राशि की पुष्टि अपने स्तर से करें एवं उसी अनुपात में ही राज्यांश विमुक्त सुनिश्चित की जाएं।***

2.5 ***विमुक्त की जाने वाली राशि से संबंधित योजना सक्षम स्तर से अनुमोदित हो तथा व्यय के मदों हेतु वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुरूप सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाये।***

2.6 विषयांकित योजना के अंतर्गत विमुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व प्रशासकीय विभाग उपर्युक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर लें। ***तद्नुसार इन योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रांश—राज्यांश विमुक्त करने का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा एवं इसके लिए नस्ती वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।***

3. प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की गयी विमुक्ति आदेश की प्रतिलिपि वित्त विभाग के बजट शाखा–04 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।

4. ***यह संशोधित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।***

(डी.एस. मिश्र)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त तथा योजना विभाग

पृष्ठा. कमांक / 2278 / एल–66 / 2012 / वित्त / ब–4 / चार रायपुर, दिनांक 02.03.2012

प्रतिलिपि:–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव / विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ मंत्रालय, रायपुर
22. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग